i'kd]

,e0 ih0 vxoky
lfpo
mRrj in"k "kklu A

**lok e]**

**icU/k fun"kd]**
m0i0 Hkfe l/kkj fuxe]
Hk&fe= Hkou] foHkfr [k.M]
Xkerhuxj] y[kuÅA

**ijrh Hkfe fodkl foHkkx** **y[kuÅ% fnukd ekp] 2015**

**fo'k;%&** mRrj in"k Hkfe l/kkj fuxe d fu;fer ,o i.kdkfyd dkfedk dh vf/ko'krk vk; 58 o'k l c<kdj 60 o'k fd; tku d lEcU/k eA

**egkn;k]**

mi;Dr fo'k;d vkid i= l[;k 1,@409@fu0dk0vf/k0vk;@2012@782, fnukd 10&12&2014 ,o rnfo'k;d vuLekjd i= l[;k 1,@409@fu0dk0vf/k0vk;@2012@1483] fnukd 16&02& 2015 d lUnHk e lkotfud m|e vuHkkx&1 d "kklukn"k l[;k 1601@44&1&2011&90@2008 fnukd 20&12&2011 d de e m0i0 Hkfe l/kkj fuxe d fun"kd e.My }kjk ikfjr iLrko ij lE;d fopkjkijkUr e> ;g dgu dk fun"k gvk g fd m0i0 Hkfe l/kkj fuxe e dk;jr fu;fer i.kdkfyd dkfedk dh vf/ko'krk vk; 58 o'k l c<kdj 60 o'k fd; tku d iLrko ij "kklukn"k tkjh gku dh frfFk l bu "krk d v/khu Jh jkT;iky egkn; lg'k Lohdfr inku djr g fd vf/ko'krk vk; c<k; tku d QyLo:Ik vku oky vfrfjDr foRrh; 0;; Hkkj dk m0i0 Hkfe l/kkj fuxe }kjk ogu fd;k tk;xk rFkk fdlh Hkh n"kk e dkb vfrfjDr foRrh; lgk;rk "kklu }kjk ugh inku dh tk;xhA

di;k mijkDrkulkj dk;okgh lfuf"pr dju dk d'V djA

Hkonh;]

**¼,e0 ih0 vxoky½**
lfpoA

l[;k&157¼1½/ipklh&15&270¼ijrh½@2012] rnfnukdA

ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko";d dk;okgh gr if'kr%&
1- egky[kkdkj] y[kk ,o gdnkjh&iFke@f}rh;] m0i0] bykgkcknA
2- df'k mRiknu vk;Dr] m0i0 "kklu A
3- lfpo] lkotfud m|e foHkkx] m0i0 "kklu A
4- dk'kkf/kdkjh] tokgj Hkou] y[kuÅA
5- foRr ¼0;; fu;=.k½]vuHkkx&1@foRr ¼lkekU;½]vuHkkx&3
6- xkM QkbyA

vkKk l]

ljUn dekj
mi lfpoA

संख्या-157-पचासी-15-270(परती/2012

प्रेषक,

एम0 पी0 अग्रवाल
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ, दिनांक मार्च, 2015

विषयः- उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकार 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त वि'याक आपके पत्र संख्या 1ए/409/नि0का0अधि0आयु/2012/782, दिनांक 10.12.2014 एवं तद्विषयक अनुस्मारक पत्र संख्या 1ए/409/नि0का0अधि0आयु/2012/1483, दिनांक 16.02.2015 के सन्दर्भ में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासानादेश संख्या 1601/44-1-2011-90/2008, दिनांक 20.12.2011 के क्रम में उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में कार्यरत नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिव'ार्ता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकार 60 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव पर शासानादेश जारी होने की तिथि से इन शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार को उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वहन किया जायगा तथा किसी भी दशा में कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता शासान द्वारा नहीं प्रदान की जायगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का क'ट करें।

भवदीय,

(एम0 पी0 अग्रवाल)
सचिव।

संख्या-157(1)/पचासी-15-270(परती)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/वित्त (सामान्य), अनुभाग-3
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र कुमार
उप सचिव।